संचिका सं0–म0 / यो0–16 / 2025 (7 निश्चय पार्ट–2) ......3710......

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

अभिषेक रंजन, (भा0प्र0से0)
निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
कटिहार, भागलपुर एवं सीतामढ़ी।

मत्स्य / पटना, दिनांक 18.09.2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत जिलावार लक्ष्य (भौतिक एवं वित्तीय) को अंतरजिला स्थानांतरण करने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय राज्यादेश संख्या–3053, दिनांक–24.06.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रांसागिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता सं0–PBBPLA-028, लेजर सं0–17 / 2024–25 में लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत राशि अंतरित है। उल्लेखनीय है कि जिला मत्स्य पदाधिकारी (कटिहार, भागलपुर) द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के माध्यम से संबंधित जिलों में पर्याप्त आवेदन नहीं रहने के कारण उक्त योजनान्तर्गत इन जिलों में श्रेणीवार आवंटित कुल 7.00 हे0 का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रत्यर्पण करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही जिला मत्स्य पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक–655, दिनांक–19.06.2025 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत श्रेणीवार कुल 9.00 हे0 अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की गई है।

इसी संदर्भ में उक्त वर्णित जिलों द्वारा लक्ष्य प्रत्यर्पण तथा अतिरिक्त मांग को दृष्टिपथ में रखते हुए तथा सांगोपांग विचारोपरांत विभागीय राज्यादेश संख्या–3053 दिनांक–24.06.204 की कंडिका–10 के (viii) में अंकित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु निम्न विवरणी के अनुसार जिलों से लक्ष्य (भौतिक एवं वितीय) प्रत्यर्पित कर इसे पुनः सीतामढ़ी जिला को पूर्व में आवंटित लक्ष्य के अतिरिक्त श्रेणीवार कुल 7.00 हे0 अंतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है (विस्तृत विवरणी **अनुलग्नक**–के रूप में संलग्न)।

इस प्रकार पूर्व में निर्गत लक्ष्य (भौतिक एवं वित्तीय) को इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं राज्यादेश की अन्य शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी। साथ ही वर्तमान में पत्यर्पित वित्तीय लक्ष्य को बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता के माध्यम से कटिहार एवं भागलपुर जिला को संलग्न विवरणी के अनुरूप अंतरण की कार्रवाई मत्स्य निदेशालय स्तर से की जाएगी।

उक्त प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :– यथोक्त (**अनुलग्नक**–1 से 5 तक)।

विश्वासभाजन

17/09/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः– म0 / यो0–16 / 2025 (7 निश्चय पार्ट–1) 3710 / पटना–15, दिनांक–18 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः– म0 / यो0–16 / 2025 *(7 निश्चय पार्ट–1)* 3710 / पटना–15, दिनांक–18 / 09 / 2025.

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः– म0 / यो0–16 / 2025 *(7 निश्चय पार्ट–1)* 3710 / पटना–15, दिनांक–18 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, योजना विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग / सभी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी / सभी जिला योजना पदाधिकारी / सभी जिला उद्यान पदाधिकारी / सभी संबंधित प्रखंड के अंचलाधिकारी, बिहार / निदेशक, कृषि / मुख्य वन संरक्षक / मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग / आई०सी०ए०आर०, पटना / बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर / निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक / सभी उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः– म0 / यो0–16 / 2025 *(7 निश्चय पार्ट–1)* 3710 / पटना–15, दिनांक–18 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः–परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः– म0 / यो0–16 / 2025 *(7 निश्चय पार्ट–1)* 3710 / पटना–15, दिनांक–18 / 09 / 2025.

प्रतिलिपिः–मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः– म0 / यो0–16 / 2025 *(7 निश्चय पार्ट–1)* 3710 / पटना–15, दिनांक–18 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः–विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांकः– म0 / यो0–16 / 2025 *(7 निश्चय पार्ट–1)* 3710 / पटना–15, दिनांक–18 / 09 / 2025.

प्रतिलिपिः–विभागीय सचिव के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

अनुलग्नक –V5

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

संशोधित लक्ष्य–iii

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	नीजी चौर इनपुट सहित (हे0 में) इकाई लागत 8.70 लाख / हे0 (लाभुक आधारित)								कुल रकवा (हे0)	कुल अनुदान	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय राशि
		अन्य वर्ग (अनुदान 50 प्रतिशत)		अति पिछडी जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		अनु0जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		अनु0 जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत)					
		जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान राशि	जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान राशि	जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान	जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	9.00	39.15	1.00	6.09	1.00	6.09			11.00	51.330	1.027	52.3566
2	सुपौल	22.00	95.70	10.00	60.90	5.00	30.45			37.00	187.050	3.741	190.7910
3	मधेपुरा	3.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	13.050	0.261	13.3110
4	सहरसा	30.00	130.50	20.00	121.80	5.00	30.45			55.00	282.750	5.655	288.4050
5	पश्चिम चम्पारण	15.00	65.25	2.00	12.18	1.50	9.14	1	6.09	19.50	92.655	1.853	94.5081
6	पूर्वी चम्पारण	15.00	65.25	15.00	91.35	7.00	42.63			37.00	199.230	3.985	203.2146
7	सीतामढी	29.00	126.15	18.00	109.62	5.00	30.45			52.00	266.220	5.324	271.5444
8	मुजफ्फरपुर	20.00	87.00	15.00	91.35	5.00	30.45			40.00	208.800	4.176	212.9760
9	वैशाली	30.00	130.50	12.00	73.08	9.50	57.86			51.50	261.435	5.229	266.6637
10	समस्तीपुर	10.00	43.50	5.00	30.45	3.00	18.27			18.00	92.220	1.844	94.0644
11	मधुबनी	17.00	73.95	15.00	91.35	6.00	36.54			38.00	201.840	4.037	205.8768
12	दरभंगा	15.00	65.25	4.00	24.36	0.00	0.00			19.00	89.610	1.792	91.4022
13	अररिया	5.00	21.75	5.00	30.45	2.00	12.18	1	6.09	13.00	70.470	1.409	71.8794
14	किशनगंज	8.00	34.80	6.00	36.54	2.00	12.18	1	6.09	17.00	89.610	1.792	91.4022
15	पूर्णियाँ	5.00	21.75	6.00	36.54	0.00	0.00	2	12.18	13.00	70.470	1.409	71.8794
16	कटिहार	6.00	26.10	5.00	30.45	4.00	24.36	1	6.09	16.00	87.000	1.740	88.7400
17	भागलपुर	17.00	73.95	7.00	42.63	1.00	6.09	1	6.09	26.00	128.760	2.575	131.3352
18	बेगुसराय	16.00	69.60	2.00	12.18	1.00	6.09			19.00	87.870	1.757	89.6274
19	खगडिया	20.00	87.00	10.00	60.90	5.00	30.45			35.00	178.350	3.567	181.9170
20	गोपालगंज	20.00	87.00	10.00	60.90	5.00	30.45	1	6.09	36.00	184.440	3.689	188.1288
21	सिवान	15.00	65.25	5.00	30.45	3.00	18.27	1	6.09	24.00	120.060	2.401	122.4612
22	सारण	15.00	65.25	5.00	30.45	0.00	0.00			20.00	95.700	1.914	97.6140
	कुल योग	**342.00**	**1487.70**	**178.00**	**1084.02**	**71.00**	**432.39**	**9.00**	**54.81**	**600.00**	**3058.920**	**61.178**	**3120.0984**

नोट--

1. उपरोक्त लक्ष्य का निर्धारण चौर बाहुल्य जिलों द्वारा मांग के आधार पर किया गया है।
2. उद्यमी आधारित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 अन्य वर्ग के लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा।

17/09/25

निदेशक मत्स्य

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2024–25 iii

क्र० सं०	जिला	आवंटित मांग (भौतिक एवं वित्तीय) लक्ष्य								प्रत्यर्पित लक्ष्य (भौतिक एवं वित्तीय) लक्ष्य								अतिरिक्त (भौतिक एवं वित्तीय) लक्ष्य की मांग							
		सामान्य वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग		अनु जाति		अनु. जनजाति		सामान्य वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग		अनु जाति		अनु. जनजाति		सामान्य वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग		अनु जाति		अनु. जनजाति	
		भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	कटिहार	10.00	43.50	6.00	36.54	4.00	24.36	1.00	6.09	4.00	17.40	1.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	भागलपुर	17.00	73.95	9.00	54.81	1.00	6.09	1.00	6.09	0.00	0.00	2.00	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00								
3	सीतामढ़ी	25.00	108.75	15.00	91.35	5.00	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	17.40	3.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कुल	**52.00**	**226.20**	**30.00**	**182.70**	**10.00**	**60.90**	**2.00**	**12.18**	**4.00**	**17.40**	**3.00**	**18.27**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**4.00**	**17.40**	**3.00**	**18.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

क्र० सं०	जिला	संसोधित लक्ष्य–iii								अभियुक्ति
		सामान्य वर्ग		अति पिछड़ा वर्ग		अनु जाति		अनु जनजाति		
		भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (हे०)	वित्तीय (लाख में)	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	कटिहार	6.00	26.1	5.00	30.45	4.00	24.36	1.00	6.09	जिला कटिहार का सामान्य वर्ग से 4 हे० एव अति पिछडा वर्ग का 1 हे० भौतिक एव वित्तीय प्रत्यर्पित लक्ष्य जिला सीतामढ़ी को आवंटित किया गया।
2	भागलपुर	17.00	73.95	7.00	42.63	1.00	6.09	1.00	6.09	जिला भागलपुर का अति पिछडा वर्ग से 2 हे० का लक्ष्य जिला सीतामढ़ी को आवंटित किया गया।
3	सीतामढ़ी	29.00	126.15	18.00	109.62	5.00	30.45	0.00	0.00	जिला सीतामढ़ी को सामान्य वर्ग मे 4 हे० एव अति पिछडा वर्ग मे 3 हे० अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया।
	कुल	**52.00**	**226.20**	**30.00**	**182.70**	**10.00**	**60.90**	**2.00**	**12.18**	

अनुलग्नक - 03

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

संशोधित लक्ष्य–ii

(राशि लाख में)

क्र0	जिला	नीजी चौर इनपुट सहित (हे0 में) इकाई लागत 8.70 लाख / हे0 (लाभुक आधारित)								कुल रकबा (हे0)	कुल अनुदान	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय राशि
		अन्य वर्ग (अनुदान 50 प्रतिशत)		अति पिछड़ी जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		अनु0जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		अनु0 जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत)					
		जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान	जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान	जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान	जलक्षेत्र (हे0)	अनुदान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	9.00	39.15	1.00	6.09	1.00	6.09			11.00	51.330	1.027	52.3566
2	सुपौल	22.00	95.70	10.00	60.90	5.00	30.45			37.00	187.050	3.741	190.7910
3	मधेपुरा	3.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	13.050	0.261	13.3110
4	सहरसा	30.00	130.50	20.00	121.80	5.00	30.45			55.00	282.750	5.655	288.4050
5	पश्चिम चम्पारण	15.00	65.25	2.00	12.18	1.50	9.14	1	6.09	19.50	92.655	1.853	94.5081
6	पूर्वी चम्पारण	15.00	65.25	15.00	91.35	7.00	42.63			37.00	199.230	3.985	203.2146
7	सीतामढ़ी	25.00	108.75	15.00	91.35	5.00	30.45			45.00	230.550	4.611	235.1610
8	मुजफ्फरपुर	20.00	87.00	15.00	91.35	5.00	30.45			40.00	208.800	4.176	212.9760
9	वैशाली	30.00	130.50	12.00	73.08	9.50	57.86			51.50	261.435	5.229	266.6637
10	समस्तीपुर	10.00	43.50	5.00	30.45	3.00	18.27			18.00	92.220	1.844	94.0644
11	मधुबनी	17.00	73.95	15.00	91.35	6.00	36.54			38.00	201.840	4.037	205.8768
12	दरभंगा	15.00	65.25	4.00	24.36	0.00	0.00			19.00	89.610	1.792	91.4022
13	अररिया	5.00	21.75	5.00	30.45	2.00	12.18	1	6.09	13.00	70.470	1.409	71.8794
14	किशनगंज	8.00	34.80	6.00	36.54	2.00	12.18	1	6.09	17.00	89.610	1.792	91.4022
15	पूर्णियाँ	5.00	21.75	6.00	36.54	0.00	0.00	2	12.18	13.00	70.470	1.409	71.8794
16	कटिहार	10.00	43.50	6.00	36.54	4.00	24.36	1	6.09	21.00	110.490	2.210	112.6998
17	भागलपुर	17.00	73.95	9.00	54.81	1.00	6.09	1	6.09	28.00	140.940	2.819	143.7588
18	बेगुसराय	16.00	69.60	2.00	12.18	1.00	6.09			19.00	87.870	1.757	89.6274
19	खगड़िया	20.00	87.00	10.00	60.90	5.00	30.45			35.00	178.350	3.567	181.9170
20	गोपालगंज	20.00	87.00	10.00	60.90	5.00	30.45	1	6.09	36.00	184.440	3.689	188.1288
21	सिवान	15.00	65.25	5.00	30.45	3.00	18.27	1	6.09	24.00	120.060	2.401	122.4612
22	सारण	15.00	65.25	5.00	30.45	0.00	0.00			20.00	95.700	1.914	97.6140
कुल योग		342.00	1487.70	178.00	1084.02	71.00	432.39	9.00	54.81	600.00	3058.920	61.178	3120.0984

नोट–
1. उपरोक्त लक्ष्य का निर्धारण चौर बाहुल्य जिलों द्वारा मांग के आधार पर किया गया है।
2. उद्यमी आधारित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 अन्य वर्ग के लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा।

निदेशक मत्स्य

अनुलग्नक-02

(63)

अनुलग्नक –V

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

संशोधित लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र०	जिला	तीजी चौर इनपुट सहित (हे० में) इकाई लागत 0.70 लाख/हे० (लागत आधारित)								कुल रकबा (हे०)	कुल अनुदान	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय राशि
		अन्य वर्ग (अनुदान 50 प्रतिशत)		अति पिछड़ी जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		अनुसूचित जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		अनु० जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत)					
		जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	9.00	39.15	1.00	6.09	1.00	6.09			11.00	51.330	1.027	52.3566
2	सुपौल	22.00	95.70	10.00	60.90	5.00	30.45			37.00	187.050	3.741	190.7910
3	मधेपुरा	3.00	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	13.050	0.261	13.3110
4	सहरसा	30.00	130.50	20.00	121.80	5.00	30.45			55.00	282.750	5.655	288.4050
5	पश्चिम चम्पारण	15.00	65.25	3.00	18.27	1.00	6.09	1	6.09	20.00	95.700	1.914	97.6140
6	पूर्वी चम्पारण	15.00	65.25	15.00	91.35	7.00	42.63			37.00	199.230	3.985	203.2146
7	सीतामढ़ी	25.00	108.75	15.00	91.35	5.00	30.45			45.00	230.550	4.611	235.1610
8	मुजफ्फरपुर	20.00	87.00	15.00	91.35	7.00	42.63			42.00	220.980	4.420	225.3996
9	वैशाली	30.00	130.50	12.00	73.08	9.50	57.86			51.50	261.435	5.229	266.6637
10	समस्तीपुर	10.00	43.50	5.00	30.45	3.00	18.27			18.00	92.220	1.844	94.0644
11	मधुबनी	17.00	73.95	15.00	91.35	6.00	36.54			38.00	201.840	4.037	205.8768
12	दरभंगा	15.00	65.25	5.00	30.45	2.00	12.18			22.00	107.880	2.158	110.0376
13	अररिया	5.00	21.75	5.00	30.45	2.00	12.18	1	6.09	13.00	70.470	1.409	71.8794
14	किशनगंज	8.00	34.80	6.00	36.54	2.00	12.18	1	6.09	17.00	89.610	1.792	91.4022
15	पूर्णियाँ	5.00	21.75	6.00	36.54	0.00	0.00	2	12.18	13.00	70.470	1.409	71.8794
16	कटिहार	10.00	43.50	6.00	36.54	4.00	24.36	1	6.09	21.00	110.490	2.210	112.6998
17	भागलपुर	17.00	73.95	9.00	54.81	1.00	6.09	1	6.09	28.00	140.940	2.819	143.7588
18	बेगूसराय	16.00	69.60	2.00	12.18	2.00	12.18			20.00	93.960	1.879	95.8392
19	खगड़िया	20.00	87.00	10.00	60.90	5.00	30.45			35.00	178.350	3.567	181.9170
20	गोपालगंज	20.00	87.00	8.00	48.72	0.50	3.05	1	6.09	29.50	144.855	2.897	147.7521
21	सिवान	15.00	65.25	5.00	30.45	3.00	18.27	1	6.09	24.00	120.060	2.401	122.4612
22	सारण	15.00	65.25	5.00	30.45	0.00	0.00			20.00	95.700	1.914	97.6140
	कुल योग	342.00	1487.70	178.00	1084.02	71.00	432.39	9.00	54.81	600.00	3058.920	61.178	3120.0984

नोट-

1. उपरोक्त लक्ष्य का निर्धारण चौर बाहुल्य जिलों द्वारा माँग के आधार पर किया गया है।
2. उद्यमी आधारित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे० अन्य वर्ग के लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा।

Amyt Ronuka

निदेशक मत्स्य

अनुलग्नक – 01

158

संचिका सं०–6 एस०एस०(6)07 / 2020– 3053 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

रिमता सिन्हा, बि०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूपसे परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक– 24 / 06 / 2024

विषय– मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 3120.0984 लाख (इकतीस करोड़ बीस लाख नौ हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र की लागत व्यय पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–2672, दिनांक–05.07.2023 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 3120.0984 लाख (इकतीस करोड़ बीस लाख नौ हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र की लागत व्यय पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी तथा तालाब निर्माण/भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–I, II, III, IV एवं V के रूप में संलग्न।

2. राज्य सरकार के आत्म–निर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–2025) के निश्चय 4 (स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव) के विन्दू पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास के अन्तर्गत निर्दिष्ट "राज्य में स्थित चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा" संकल्प तथा चतुर्थ कृषि रोड मैप में प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिन्हित एवं स्वीकृति के तहत इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य अविकसित एवं अव्यवहृत निजी चौर भूमि को विकसित कर मत्स्य पालन योग्य बनाना है। इससे मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि के साथ–साथ किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो सकेगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन होने से जहाँ एक तरफ राज्य मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जलकृषि हेतु विकसित करना है जिससे अव्यवहृत पड़े इन चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ–साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का अभिसरण कर [illegible]

4. मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के क्रियान्वयन से निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है :–

(i) अव्यवहृत पड़े निजी चौर भूमि का उपयोग मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि उत्पादन हेतु किया जा सकेगा।

(ii) उपयुक्त तकनीकी मॉडलों के जरिये उत्पाद में विविधता से उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हो सकेगा।

(iii) इसके सफल कार्यान्वयन से मत्स्य उत्पादन के साथ–साथ भू–जल स्तर में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। इससे यह राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी "जल–जीवन–हरियाली अभियान" में भी सहायक होगी।

(iv) इससे किसानों को रोजगार के साथ–साथ आय में अभिवृद्धि होगी तथा सुदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

5. योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 600 हे० चौर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 342 हे० अन्य वर्ग, 178 हे० अति पिछड़ी वर्ग, 71 हे० अनुसूचित जाति एवं 09 हे० अनुसूचित जनजाति के लिए कर्णांकित है, जिसमें 100 हे० उद्यमी आधारित लाभुक हेतु प्रस्तावित है, जो अन्य वर्ग के लाभुको हेतु कुल निर्धारित लक्ष्य 342 हे० के अन्तर्गत सम्मिलित है। उक्त योजना के क्रियान्वयन पर सब्सिडी स्वरूप कुल ₹ 3058.920 लाख एवं प्रशासनिक व्यय हेतु कुल ₹ 61.1784 लाख अथार्त कुल ₹ 3120.0984 लाख (इकतीस करोड़ बीस लाख नौ हजार आठ सौ चालीस रु०) मात्र व्यय होने का अनुमान है (अनुलग्नक–III संलग्न)।

6. योजना का रूप–रेखा एवं संक्षिप्त विवरणी:–

(i). प्रस्तावित समेकित चौर विकास योजना राज्य के चौर बाहुल्य जिलों में निजी क्षेत्र के चौर भूमि में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ii). यह योजना वर्तमान में एक वर्ष के लिए प्रस्तावित है। परंतु चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत यह योजना थ्रस्ट एरिया के रूप में चिन्हित एवं स्वीकृत है तथा कृषि रोड मैप के अवधि (2023–2028) तक 25000 हे० चौर भूमि को विकसित करने का लक्ष्य है। इसलिए यह योजना आगे के वर्षो में भी क्रियान्वित रहेगी।

(iii). योजनान्तर्गत निजी चौर भूमि के समेकित विकास हेतु कुल तीन मॉडल प्रस्तावित हैं। इन मॉडलों के तहत् तालाब का निर्माण किया जायेगा तथा निकाले गये मिट्टी से बाँध एवं संलग्न भूमि का भराव किया जायेगा। मॉडल के अनुसार तालाब की गहराई एवं बाँध की ऊँचाई अलग–अलग है जिसमें लाभुक के इच्छानुसार एक हेक्टयर रकबा में न्यूनतम एक एवं अधिकतम चार तालाब का निर्माण किया जायेगा। स्थल चयन उच्चतम बाढ़ स्तर (Highest Flood Level) को दृष्टिपथ रखते हुए किया जाएगा एवं इँनलेट–ऑउटलेट तथा तालाब के बाँध की ऊँचाई तदनुसार निर्धारित की जायेगी एवं बाँध का मजबूतीकरण किया जाएगा। साथ ही, चौर क्षेत्र में प्राकृतिक मुख्य निकासी जल–मार्ग में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ताकि बाढ़ से संरचना के क्षति को रोका जा सके।

(iv). योजनान्तर्गत चौर भूमि को इस प्रकार से विकसित की जाएगी जिससे चौर भूमि का कम से कम 20 प्रतिशत एरिया (सबसे गहरे भाग) अपने मूल स्वरूप में रहे। चौर

बीच का चौर भूमि पानी निकासी, प्राकृतिक जल निकासी मार्ग के रूप में उपलब्ध रहेगा ताकि चौर का प्राकृतिक स्वरूप एवं जैव विविधता भी बरकरार रहे।

(v). योजनान्तर्गत चौर विकास हेतु *"लाभुक आधारित चौर विकास"* एवं *"उद्यमी आधारित चौर विकास"* प्रस्तावित है।

(vi). चौर विकास हेतु अनुशंसित मॉडलों के इकाई लागत का लाभुक आधारित (व्यक्तिगत/परिवार/समूह) चौर विकास हेतु सब्सिडी की राशि अन्य वर्ग के लाभुकों को 50 प्रतिशत तथा अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुक को 70 प्रतिशत देय होगा। वहीं उद्यमी आधारित चौर विकास में सब्सिडी की राशि 40 प्रतिशत होगा। कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के साथ समावेशन एवं अभिसरण की स्थिति में उक्त अवयव हेतु संबंधित विभाग से देय सब्सिडी की अनुमान्यता इसके अतिरिक्त होगी।

(vii). योजनान्तर्गत चौर विकास हेतु औसत इकाई लागत ₹ 8.70 लाख प्रति हेक्टेयर आकलित की गई है। चौर विकास के विभिन्न मॉडल की विवरणी तथा कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के विभिन्न अवयव अनुलग्नक–II पर संलग्न है। विभिन्न मॉडल के प्राक्कलन एवं डिजाईन अनुलग्नक–IV पर संलग्न है। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक–V पर संलग्न है।

(viii). योजनान्तर्गत तालाब के बाहरी बाँध के स्लोप एवं शेष विकसित भूमि पर कृषि, बागवानी एवं कृषि–वानिकी का चयन लाभार्थी स्वेच्छा से कर सकेंगे साथ ही कृषि एवं सबद्ध अवयवों का चयन बाध्यकारी नहीं होगा।

(ix). योजनान्तर्गत निर्धारित एक अथवा एक से अधिक मॉडल आधारित अवयवों का चुनाव लाभार्थी स्वेच्छा से कर सकेंगे।

(x). योजनान्तर्गत 2 प्रतिशत राशि प्रशासनिक व्यय (आकस्मिकता एवं अन्य आवश्यकताएं) मद में कर्णांकित किया गया है। प्रशासनिक व्यय के तहत कर्णांकित राशि से प्रश्नगत योजना का प्रचार–प्रसार, चौर का चिन्हिकरण, प्रशिक्षण/कृषक गोष्ठी, योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, आवश्यक सांगठनिक एवं तकनीकी सहयोग, कम्प्यूटर एवं इससे सम्बद्ध सामग्री, फर्निचर, बैनर, पोस्टर, पम्फलेट, वृत्त चित्र एवं लघु फिल्म, कॉफी बुक, प्रलेखन आदि कार्यों का सम्पादन किया जाएगा। निदेशक मत्स्य यह राशि सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. जिला स्तर पर चौर विकास हेतु निम्न कार्य किए जाएगें:–

(i) निजी चौर भूमि का चिन्हीकरण एवं चौर का क्षेत्रफल का आकलन करना।

(ii) निजी भू–स्वामियों की सूची (रकबा के साथ) तैयार करना।

(iii) जागरूकता अभियान, प्रचार–प्रसार, कृषक गोष्ठी का आयोजन।

(iv) समूह का निर्माण।

(v) आवेदन सृजित करना।

(vi) प्रशिक्षण एवं योजना का क्रियान्वयन।

उपरोक्त वर्णित कार्यों का निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

8. लाभुकों का चयनः–

(i) मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन / विभागीय वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित कर विहित प्रपत्र में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन

आवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत मत्स्य निदेशालय स्तर से पोर्टल खोलकर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों का जाँचोपरात चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त शेष पूर्ण एवं स्वीकृत आवेदनों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसका आगामी वित्तीय वर्ष में सदृश्य योजना हेतु प्राथमिकता के तहत मान्य किया जाएगा।

(ii) योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन पत्रों का ससमय डाउनलोडिंग, जाँच एवं चयन कर कार्यादेश निर्गत हेतु यह आवश्यक है कि प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रतिदिन डाउनलोडिंग, साप्ताहिक जाँच तथा कट–ऑफ तिथि (प्रत्येक माह का अंतिम दिन) के पश्चात आंतरिक चयन समिति सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) व्यक्तिगत / समूह लाभुकों के द्वारा स्व–अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र (अति पिछड़ी जाति / अनु0जाति / अनु0जनजाति हेतु), इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अंशदान का सहमति पत्र, समूह के मामलों में "समूह" में कार्य करने की सहमति पत्र, ग्रुप नेता एवं अन्य सदस्यों की हस्ताक्षरित विवरणी आदि आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

(iv) उद्यमी लाभुकों (कम्पनी / फर्म के प्रोपराइटर / निदेशक) के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण–पत्र, विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण (किन्तु नव निबंधित उद्यमी के मामले में यह अनिवार्यता नहीं होगी) आयकर रिर्टन, पैन कार्ड, जी0एस0टी0, उद्यमी का स्व–अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटो आदि आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

(v) योजना हेतु निजी / लीज एकरारनामा पर भूमि का उल्लेख होना आवश्यक है। निजी भूमि के मामले में स्वामित्व से सम्बन्धित भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र / अद्यतन मालगुजारी रसीद (चालू वित्तीय वर्ष से एक वर्ष पहले का) तथा लीज की स्थिति में, लीज से सम्बन्धित निबंधित एकरारनामा / 1000 रू० नन जूडीसीयल स्टांप पर की गई एकरारनामा (न्यूनतम नौ वर्ष) आवेदन के साथ संलग्न करना आवयश्क होगा। नन–जूडीसीयल स्टांप पर एकरारनामा के मामले में भू–स्वामी / स्वामियों से भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र / अद्यतन मालगुजारी रसीद (चालू वित्तीय वर्ष से एक वर्ष पहले का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। उक्त शर्तें, चौर विकास के लाभुक आधारित एवं उद्यमी आधारित मॉडल पर प्रभावी होगा।

(vi) भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र / लीज एकरारनामा पर ली गई भूमि से संबंधित दस्तावेज, जमीन का नक्शा, राजस्व रसीद, आवेदक के द्वारा प्रस्तावित भूमि के साथ अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्रॉफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। फोटोग्रॉफ में लेण्डमॉर्क / विभेदक–चिन्ह स्पष्ट हो ताकि स्थल निरीक्षण के क्रम में प्रस्तावित भूमि का सुलभता के साथ पहचान हो सके।

(vii) लाभुक आधारित व्यक्तिगत / परिवार / समूह के मामलों में मत्स्य प्रशिक्षण प्राप्त लाभुकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। समूह लाभुकों के मामलों में वैसे समूह जिनके पास समूह में योजना का क्रियान्वयन करने का अनुभव एवं सामंजस्यता हो, को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(viii) उद्यमी आधारित लाभुकों के मामलों में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में वैसे उद्यमी जिनके पास पूर्व से कृषि / मत्स्य आधारित उद्यमी का अनुभव प्राप्त हो, को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ix) लाभुकों का चयन निर्धारित मापदंड के अनुसार संबंधित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपने आंतरिक पदाधिकारियों / प्रभारी / अभियंता से गठित समिति के द्वारा किया जाएगा।

(x) आवेदन के चयन के क्रम में कागजात त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु एक पक्ष का समय दिया जाएगा।

8. योजना का अनुश्रवणः–

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का अनुश्रवण जिला पर गठित गठित **"जिला चौर विकास समिति"** के माध्यम से की जाएगी। जिला चौर विकास समिति, चौर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेंगी।

जिला चौर विकास समिति का गठन निम्नवत् होगा–

1. जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. अपर समाहर्ता (राजस्व)	–	सदस्य
3. जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
4. कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग	–	सदस्य
5. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	–	सदस्य
6. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपाकल पदा०	–	सदस्य सचिव
7. वन प्रमण्डल पदाधिकारी (DFO)	–	सदस्य
8. जिला योजना पदाधिकारी	–	सदस्य
9. जिला उद्यान पदाधिकारी	–	सदस्य
10. संबंधित प्रखंड के अंचलाधिकारी	–	सदस्य
11. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित अन्य दो सदस्य	–	सदस्य

(जिसमें जिला के प्रगतिशील मत्स्य पालक एवं आर्द्रभूमि विशेषज्ञ होंगे)

(i) जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का सघन पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। तकनीकी मुद्दों को जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा समाधान किया जाएगा तथा जमीन संबंधी मामला, विधि व्यवस्था एवं अन्य संभार सहायता जिला प्रशासन के साथ [illegible] समन्वय एवं सहयोग से की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार समिति भी समय-समय पर इसका अनुश्रवण करेंगी।

(ii) योजनान्तर्गत एक ही जगह 10 एकड़ से अधिक रकवा में विकसित चौर को जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष के द्वारा अभिसरण (Convergence) की संभावना के तहत सड़क संपर्क, बिजली संसर्ग, नाल निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधा (जैसे [illegible] पेय जल, युटिलिटी स्पेस आदि जमीन की उपलब्धता के आधार पर) हेतु आवश्यक पहल की जाएगी जिससे सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना के प्रति आम लोगों की रुझान बढ़ सके।

9. लाभुकों को देय सब्सिडी की राशि का भुगतान तीन किश्तों (तालाब निर्माण में दो किश्त, मत्स्य इनपुट में एक किश्त) में संबंधित परिक्षेत्र स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित अनुदान समिति के अनुशंसा के उपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी राशि का भुगतान लाभुक के बैंक खाता में आर०टी०जी०एस० [illegible] एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से ही किया जाएगा।

कृषि / बागवानी / वानिकी में देय सब्सिडी जिला कृषि पदाधिकारी / जिला उद्यान पदाधिकारी / वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रावधानानुसार किया जा [illegible] देय सब्सिडी के अतिरिक्त होगा।

154

10\. अन्य क्रियान्वयन निदेशः—

(i). चौर का समेकित विकास समूह में चौर बाहुल्य प्रखंड में किया जाएगा। चौर में एक जगह लगातार भूमि वाले को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जिससे एक ही जगह पर अधिकतम रकवा में चौर को विकसित किया जा सके ताकि मात्स्यिकी हब के रूप में दिखे एवं अन्य कृषक भी प्रेरित हो सके।

(ii). एक व्यक्ति/परिवार को न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 05 हेक्टेयर (एक अथवा एक से अधिक वर्षो में) एवं समूह में 20 हेक्टेयर (न्यूनतम चार व्यक्ति) की अनुमान्यता होगी। 20 हेक्टेयर से अधिक के मामले "उद्यमी" माने जाएगें एवं प्रावधानानुसार देय सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। समूह लाभुकों को भी व्यक्तिगत/परिवार को देय सब्सिडी के समरूप ही सब्सिडी की अनुमान्यता होगी। उद्यमी मॉडल में अधिकतम रकवा की सीमा नहीं होगी परंतु सब्सिडी इकाई लागत का 40 प्रतिशत तथा अधिकतम पाँच करोड राशि तक सिमित रहेगी। एक व्यक्ति/परिवार/समूह वाले लाभूक को तथा उद्यमी को प्रस्तावित मॉडल चयन की बाध्यता नहीं होगी। लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एक जगह पर बडे रकवा वाले चौरभूमि को चयन मे प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii). वित्तीय वर्ष 2022—23 से तथा चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023—24 से 2027—28) के तहत इस योजनान्तर्गत जितने आवेदन जिलों में अव्यवहृत हो उसे "आवेदनों के एक पूल" के रूप में संधारित कर इच्छुक योग्य लाभार्थी को चालू वित्तीय वर्ष तथा बाद के वर्षों में क्रियान्वित सदृश्य योजना में कार्यादेश दिया जा सकेगा। इसके लिए जिलों में योग्य आवेदकों की अनुमोदित प्रतीक्षा सूची संधारित की जाएगी।

(iv). वित्तीय वर्ष 2022—23 से योजनान्तर्गत वार्षिक लक्ष्यों की गणना संचयात्मक (cumulative) रूप से की जाएगी जो चतुर्थ कृषि रोड मैप (2023—28) में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप होगा। इससे विगत वर्षो के लक्ष्यों को संचयी (cumulative) रूप में रोड मैप अवधि तक पूरा करने में सहूलियत होगी।

(v). योजनान्तर्गत अगर लाभार्थी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया हो तो विगत वर्षों (2022 से) के कार्यादेश को रदद कर योग्य आवेदनों के पूल में से संचयी लक्ष्य के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में कार्यादेश निर्गत कर विगत वर्ष के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

(vi). विगत वर्षो के लक्ष्य के अनुरूप निर्गत कार्यादेश का देयता का भुगतान इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से किया जा सकेगा।

(vii). जिला मत्स्य पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक, उद्यान/वन प्रमंडल पदाधिकारी आदि से समन्वय स्थापित कर लाभुकों को कृषि/वानिकी/कृषि वानिकी के मॉडलों के तहत् इनपुट (यथा बीज, पौधा आदि) एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जवाबदेह होंगे।

(viii). इस योजना के कार्यान्वियन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय अनुमोदन से निदेशक मत्स्य आवश्यकतानुसार दिशा—निर्देश/अनुदेश निर्गत कर सकेंगे।

(ix). चयनित चौर पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़ा लोहे के एंगल पर 4x3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिसपर पेंट से विवरणी अंकित होगा।

(x). बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा–

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
मत्स्य निदेशालय, पटना

योजना का नाम एवं वर्ष–
लाभुक का नाम एवं पता–
प्राक्कलित/लागत राशि–
सब्सिडी की राशि–
आच्छादित जलक्षेत्र–

(vii) उक्त योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति सब्सिडी भुगतान हेतु अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए सुझाव समय–समय पर देगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र – अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4. कनीय अभियंता – सदस्य।
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी – सदस्य।

उक्त समिति प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार बैठक आहूत करेगी।

(viii) राज्य स्तर पर योजना के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन में कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होने पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित "प्रबंधन समिति" उचित निर्णय ले सकेगी। उक्त समिति के सदस्य निम्नवत होंगे –

1. विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव – अध्यक्ष।
2. विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव – सदस्य।
3. निदेशक मत्स्य – सदस्य सचिव।
4. निदेशक, कृषि – सदस्य
5. मुख्य वन संरक्षक – सदस्य।
6. मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग – सदस्य।
7. आई0सी0ए0आर0, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य।
8. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रतिनिधि – सदस्य।
9. केन्द्रीय कृषि विश्वविधालय, पुसा, समस्तीपुर के प्रतिनिधि – सदस्य।

उपरोक्त वर्णित "प्रबंधन समिति" के निम्न कार्य होंगे –

(क) जिला स्तर पर की जा रही उक्त योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाएगा।

(ख) योजना के क्रियान्वयन में जमीन संबंधी मामला एवं अन्य सभी [illegible] [illegible] में जिला स्तर पर होने वाली कठिनाईयों का अनुश्रवण एवं निराकरण।

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक छः माह अथवा आवश्यकतानुसार की जाएगी।

(ix) किसी प्राकृतिक आपदा से क्षति की स्थिति में (बीमा के दावों को छोड़कर) इस योजना के तहत किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(x) भूमि विवाद की स्थिति में अगर योजना प्रभावित होती है तो सब्सिडी राशि के वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी।

(xi) चौर क्षेत्र के लाभुक किसानों का स्वेच्छापूर्वक एफ0पी0ओ0 बनाकर मत्स्य इनपुट की उपलब्धता, विपणन आदि कार्यो में सहयोग दिया जा सकेगा।

(xii) चूँकि प्रस्तावित योजना लाभुक आधारित योजना है अतएव इस योजनान्तर्गत निर्माण अवयवों पर सेस (कर) देय नहीं होगा।

....

(xiii) योजनान्तर्गत विकसित होने वाले चौरों का Geo Tagging, डाटाबेस का संधारण की पूर्ण जिम्मेवारी जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

(xiv) लाभुकों को उपर्युक्त वर्णित चौर मॉडलों तथा कृषि, बागवानी एवं वानिकी अवयवों में से किसी एक अथवा एक से अधिक मॉडलों का चयन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर करने की स्वतंत्रता होगी। लाभुक अपने कुल भूमि में से अलग–अलग भूमि पर अलग–अलग मॉडल हेतु भी आवेदन कर सकते हैं।

(xv) योजनान्तर्गत निर्धारित तीनों मॉडल प्रतीकात्मक हैं। लाभुक चौर भूमि स्थल के वास्तविक भौतिक तलरूप (Topography) एवं अपनी आवश्यकता के आधार पर तालाब के बाँध की ऊँचाई एवं गहराई क्षेत्र के उच्चतम बाढ स्तर को दृष्टिपथ में रखते हुए परिवर्तित कर सकेंगे, परंतु देय सब्सिडी की अनुमान्यता तालाब की औसत गहराई एवं डिजाईन के अनुसार ही देय होगी। निर्धारित इकाई लागत से अधिक राशि के व्यय का वहन लाभुक के द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण से वहन किया जाएगा।

(xvi) विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में कार्यालय पत्रांक–18 दिनांक 05.01.2023 के द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के कंडिका–I&II तथा अन्य सन्दर्भित निदेश लागू रहेंगे।

11. स्कीम अन्तर्गत तीनों मॉडलों पर जल संसाधन विभाग एवं लघु जल–संसाधन विभाग से योजना–प्राक्कलन एवं डीजाईन में तकनीकी अनुमोदन (vetting) प्राप्त है।

12. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य/संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे एवं कार्य की प्रगति के संबंध में उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से मासिक प्रतिवेदन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

13. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।

14. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

15. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

16. वित्तीय वर्ष– 2024–25

(क) मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा– सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117 विषय शीर्ष–0117.13.01 –कार्यालय व्यय मद, विषय शीर्ष– 0117.20.03 –प्रशिक्षण व्यय मद, विषय शीर्ष–0117.21.01 –सामग्री और पूर्तियाँ मद, एवं विषय शीर्ष–0117.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

(ख) मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02-2405007890102 विषय शीर्ष–0102.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

(ग) मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0110 –मत्स्य सम्पदा– सात निश्चय–2

विपत्र कोड 02-2405007960110 विषय शीर्ष–0110.33.01 –सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

17. निदेशक, मत्स्य इस स्कीम के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे। स्कीम में होने वाले प्रगति से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. यह स्कीम एक चालू स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–3758, दिनांक 31.05.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका 6 एस०एस०(6)07/2020 के पृष्ठ–98/टि० एवं दिनांक–16.06.2024.

19. विभागीय संकल्प–1464, दिनांक–29.05.2019 का अनुपालन निदेशक, मत्स्य, बिहार पटना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

20. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)07/2020 के पृष्ठ संख्या–97/टि० डायरी क्रमांक–184, दिनांक–07.06.2024.

21. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(रिमता सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–6 एस०एस०(6)07/2020– 3053 /पटना–15, दिनांक–25/06/2024

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–6 एस०एस०(6)07/2020– 3053 /पटना–15, दिनांक–25/06/2024

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–6 एस०एस०(6)07/2020– 3053 /पटना–15, दिनांक–25/06/2024

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक सहित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, योजना विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता (राजस्व)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/सभी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/सभी [illegible]

150

बिहार/निदेशक, कृषि/मुख्य वन संरक्षक/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/आई०सी०ए०आर०, पटना/बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07/2020– 3053 /पटना–15, दिनांक–25/06/2024.

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07/2020– 3053 /पटना–15, दिनांक–25/06/2024.

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07/2020– 3053 /पटना–15, दिनांक–25/06/2024.

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक सहित विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक– I

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग सं०– 02, मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, के तहत अनुदानित दर पर निजी क्षेत्र में **आत्म निर्भर बिहार के सात निश्चय–2** के तहत *"मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना"* का भौतिक एवं अनुमानित वित्तीय व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र0	अवयव का नाम	उप शीर्ष	विषय शीर्ष	लक्ष्य (हे0)	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(नीजी चौर इनपुट सहित (लाभुक आधारित)	लघुशीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष– 0117– मत्स्य सम्पदा – सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02-2405001010117	0117.13 01–कार्यालय व्यय	-	30.00	निदेशक मत्स्य / जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी [illegible]	कोषागार [illegible]
			0117.20. 03–प्रशिक्षण व्यय		10.00		
			0117.21.01– सामग्री और पूर्तियाँ		21.17840		
			0117.33.01 सब्सिडी (अन्य वर्ग)	342	1487.70		
			0117.33.01 सब्सिडी (अति पिछड़ा जाति)	178	1084.02		
		लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– 0102 – मत्स्य सम्पदा– सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02–2405007890102	0102.33.01 सब्सिडी	71	432.390		
		लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0110–मत्स्य सम्पदा– सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02–2405007960110	0110.33.01 सब्सिडी	09	54.810		
			कुलः–	600	3120.0984		

(एकतीस करोड बीस लाख नौ हजार आठ सौ चालीस रूपया) मात्र

नोट– उद्यमी आधारित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 अन्य वर्ग के लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा।

सरकार के संयुक्त सचिव

3053
24/06/2024

148

<u>अनुलग्नक– II</u>

मॉडल–01 : "एक हेक्टर रकवा में दो तालाब का निर्माण"

प्रस्तावित इस मॉडल के अन्तर्गत एक हेक्टर रकवा में दो तालाब का निर्माण किया जाएगा जिसमें कुल जलक्षेत्र 0.59 हे० विकसित हो सकेगा। मिट्टी की कटाई 1.1 मीटर की जाएगी। परिधिय बॉध की उँचाई 2.5 मीटर होगी तथा दोनो तालाबों के बीच का बॉध की उँचाई 2 मीटर होगी तथा 15 मीटर X 10 मीटर का रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण किया जा सकेगा। रेज्ड प्लेटफार्म का उपयोग कृषि सहित बहुउपयोगी कार्यो के लिए किया जा सकेगा। उक्त मॉडल में तालाब निर्माण का इकाई लागत रूपए 6.52 लाख आकलित की गई है।

उक्त मॉडल के तहत विकसित तालाब के बॉध के बाहरी भाग में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का समावेषण किया जा सकेगा, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तालाब के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में उँचे एवं छायादार वृक्षों का रोपण नहीं हो।

योजना के तहत मॉडल–01 के इकाई लागत की विवरणी निम्न तालिका में दर्शायी गई है–

अवयव	इकाई लागत (प्रति हे0 रकवा) लाख में
तालाब निर्माण	6.52
मत्स्य इनपुट (4.00 लाख प्रति हे0 जलक्षेत्र)	2.36 (0.59 हे0 सृजित जलक्षेत्र के अनुसार)
कुल राशि	**8.88**

मॉडल 01 अन्तर्गत 1 हेक्टेयर रकवा के जमीन पर 0.59 हे० जलक्षेत्र के तालाब निर्माण के उपरांत बांध के स्लोप वाले हिस्से में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी हेतु लगभग 1730 वर्ग मीटर या 0.173 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगा।

21/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

3053
25/06/2025

मॉडल–02 :– ''एक हेक्टर रकवा में चार तालाब का निर्माण''

इस मॉडल के अन्तर्गत एक हेक्टर रकवा में चार तालाब का निर्माण किया जाएगा जिसमें कुल जलक्षेत्र 0.57 हे० विकसित हो सकेगा। मिट्टी की कटाई 10 मीटर की जाएगी। परिधिय बॉध की उँचाई एवं तालाबों के बीच के बॉध की उँचाई 2 मीटर होगा तथा 10 मीटर x 10 मीटर का रेज्ड प्लेटफार्म का निर्माण किया जा सकेगा। रेज्ड प्लेटफार्म का उपयोग कृषि सहित बहुउपयोगी कार्यो के लिए किया जा सकेगा। इस मॉडल के तहत तालाब निर्माण पर कुल इकाई लागत रूपए 5.04 लाख आकलित की गई है।

उक्त मॉडल के तहत विकसित तालाब के बाँध के बाहरी भाग में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का समावेषण किया जा सकेगा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तालाब के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में उँचे एवं छायादार वृक्षों का रोपण नही हो।

योजना के तहत मॉडल–02 के इकाई लागत की विवरणी निम्न तालिका में दर्शायी गई है–

अवयव	इकाई लागत (प्रति हे0 रकवा) लाख में
तालाब निर्माण	5.04
मत्स्य इनपुट (4.00 लाख प्रति हे0 जलक्षेत्र)	2.28 (0.57 हे0 सृजित जलक्षेत्र के अनुसार)
कुल राशि	7.32

मॉडल 02 अन्तर्गत 1 हेक्टेयर रकवा के जमीन पर 0.57 हे० जलक्षेत्र के तालाब निर्माण के उपरांत बांध के स्लोप वाले हिस्सो में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी हेतु लगभग 1400 वर्ग मीटर या 0.140 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगा।

सरकार के संयुक्त सचिव

3053
24/06/2021

मॉडल–03 :– "एक हेक्टर रकवा में एक तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास"

इस मॉडल के अन्तर्गत एक हेक्टर रकवा में एक तालाब का निर्माण तथा संलग्न भूमि का विकास किया जाएगा। इसमें कुल जलक्षेत्र 0.40 हे० विकसित हो सकेगा। मिट्टी की कटाई 2.0 मीटर की जाएगी। परिधिय बॉध तथा दोनो तालावों के बीच का बॉध की ऊँचाई 2 मीटर होगी तथा 100 मीटर ग 35 मीटर वर्गक्षेत्र में 1.35 मीटर मिट्टी की भराई कर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जा सकेगा जिसका कुल इकाई लागत रूपए 8.09 लाख आकलित की गई है।

उक्त मॉडल के तहत कृषि योग्य विकसित भूमि एवं तालाब के बॉध के बाहरी भाग में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी का समावेषण किया जा सकेगा जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि तालाब के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में ऊँचे एवं छायादार वृक्षों का रोपण नही हो।

योजना के तहत मॉडल– 03 के इकाई लागत की विवरणी निम्न तालिका में दर्शायी गई है–

अवयव	इकाई लागत (प्रति हे० रकवा) लाख में
तालाब निर्माण	8.09
मत्स्य इनपुट (4.00 लाख प्रति हे० जलक्षेत्र)	1.60 (0.40 हे० सृजित जलक्षेत्र के अनुसार)
कुल राशि	9.69

मॉडल 03 अन्तर्गत 1 हेक्टेयर रकवा के जमीन पर 0.40 हे० जलक्षेत्र के तालाब निर्माण के उपरांत बांध के स्लोप वाले हिस्से में कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी हेतु लगभग 5712 वर्ग मीटर या 0.5712 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होगा।

21/6/2024
सरकार के संयुक्त सचिव

3053
24/06/2024

तालाब निर्माण के अलावे कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के सम्बद्ध अवयव (स्वेच्छिक)

उपर्युक्त चौर विकास के मॉडलों के साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि [illegible] के निम्नलिखित अवयवो को समन्वित किया जाना प्रस्तावित है तथा देय राशि [illegible] अनुमान्य होगाः–

क्र0	अवयव का नाम	इकाई लागत (प्रति हे० रकबा) लाख में	देय सब्सिडी (प्रतिशत)	[illegible] सब्सिडी [illegible] राशि ([illegible])
i	केला	1.25	50	0.625
ii	पपीता	0.60	50	0.45
iii	सब्जी (हाईब्रीड)	0.50	40	0.20
iv	सब्जी (खुला परागण)	0.30	40	0.12
v	आम	1.00	50	0.50
vi	मेंथा	0.50	40	0.2
vii	अमरूद	1.00	50	0.50
viii	नींबू	0.80	50	0.40
ix	शरीफा	1.06	40	0.424
x	अनार	0.48	40	0.192
xi	करौंदा	0.2825	50	0.14125
xii	Strawberry	1.785	40	0.714
xiii	Input for Oilseed Production			0.60
xiv	Input for Horse gram Production			0.082
xv	Input for Dhaincha Production			0.03
xvi	Input for Ragi Production			0.03
xvii	Input for wheat Production			0.082
xviii	Khus	0.40	50	0.20

कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी के उपर्युक्त अवयवों के सफल [illegible] आवश्यक तकनिकी सहयोग कृषि विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से लिया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी [illegible] कृषि तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों से [illegible] कर पौधा, इनपुट आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

सरकार के [illegible]

3053
25/06/2025

144

अनुलग्नक – III

वित्तीय वर्ष 2024–25 में "मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना" का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

क्र0	वित्तीय वर्ष	बीजी चौर इनपुट सहित (हे0 में) इकाई लागत 8.70 लाख/हे0 (लाभुक आधारित)												कुल रकबा	कुल अनुदान	प्रशासनिक व्यय (2%)	कुल राशि
		अन्य वर्ग (अनुदान 50 प्रतिशत)			अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुदान 70 प्रतिशत)			अनु0जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)			अनु0 जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत)						
		रकबा	राशि	अनुदान	रकबा	राशि	अनुदान	रकबा	राशि	अनुदान	रकबा	राशि	अनुदान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2023-24	342	2975.40	1487.7000	178	1548.60	1084.0200	71	617.70	432.3900	9	78.30	54.8100	600	3058.920	61.1784	3120.0984

नोट – उद्यमी आधारित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे0 अन्य वर्ग के लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा।

21/6/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

3053
24/06/2024

अनुलग्नक–IV

Fish Pond Construction Under Chour Developement Scheme

Model-1

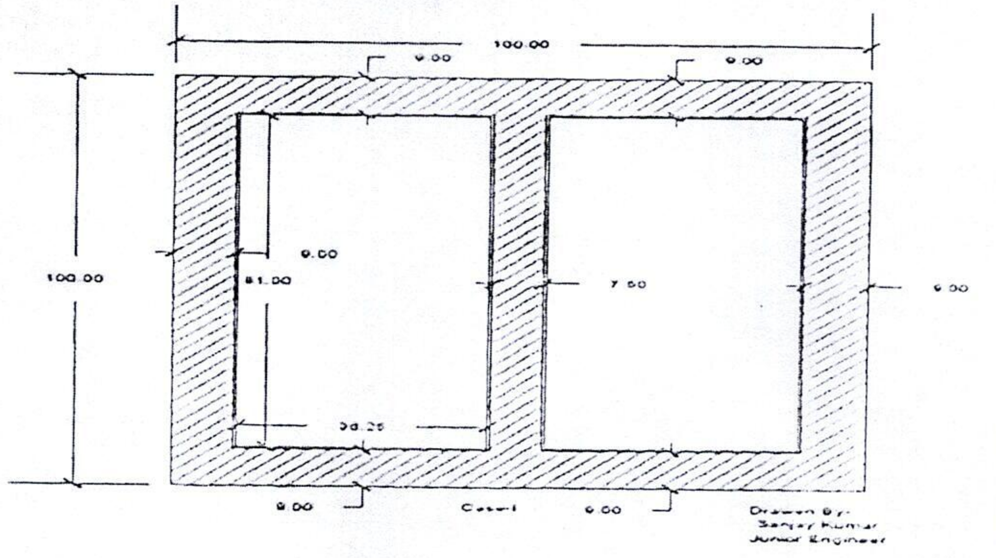

Model for Developement of Wetland for Integrated Farming

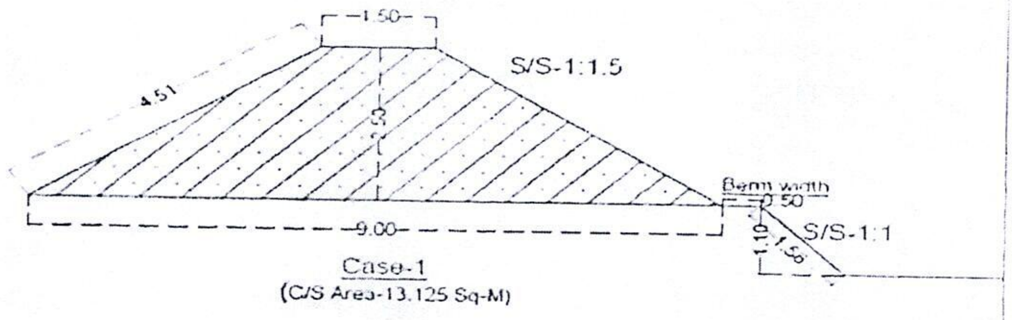

Case-1
(C/S Area-13.125 Sq-M)

Drawn By-

Sanjay Kumar
Junior Engineer
Directoate of Fisheries
Bihar, Patna

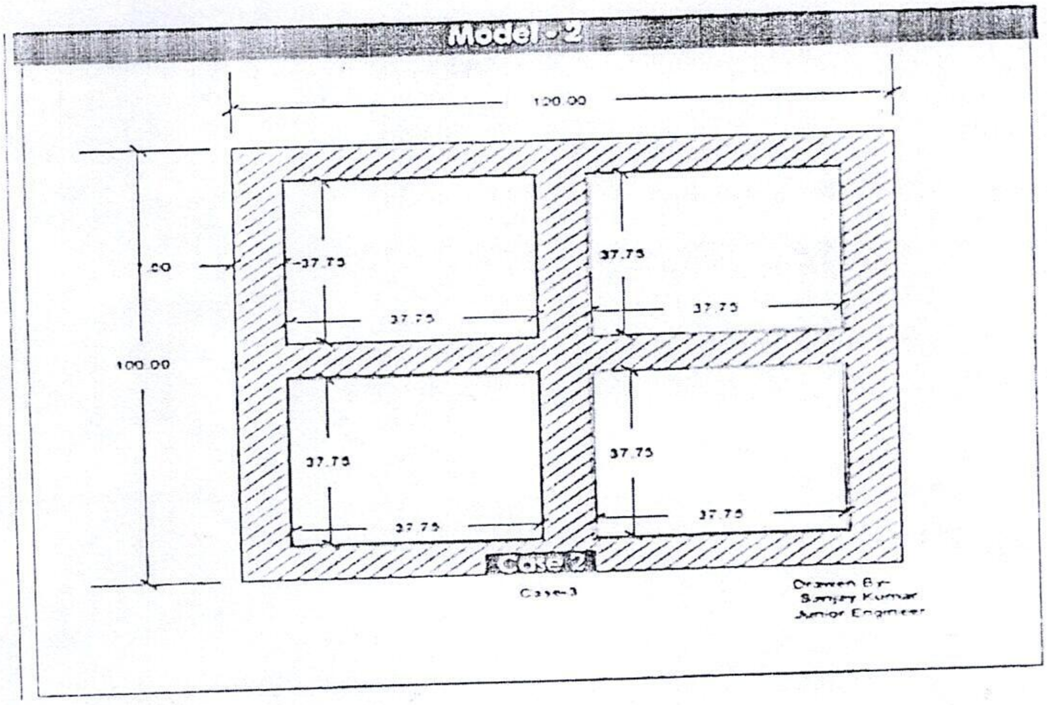
Model - 2
120.00
100.00
1.00
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
37.75
Case 2
Case-3
Drawen By-
Sanjay Kumar
Junior Engineer

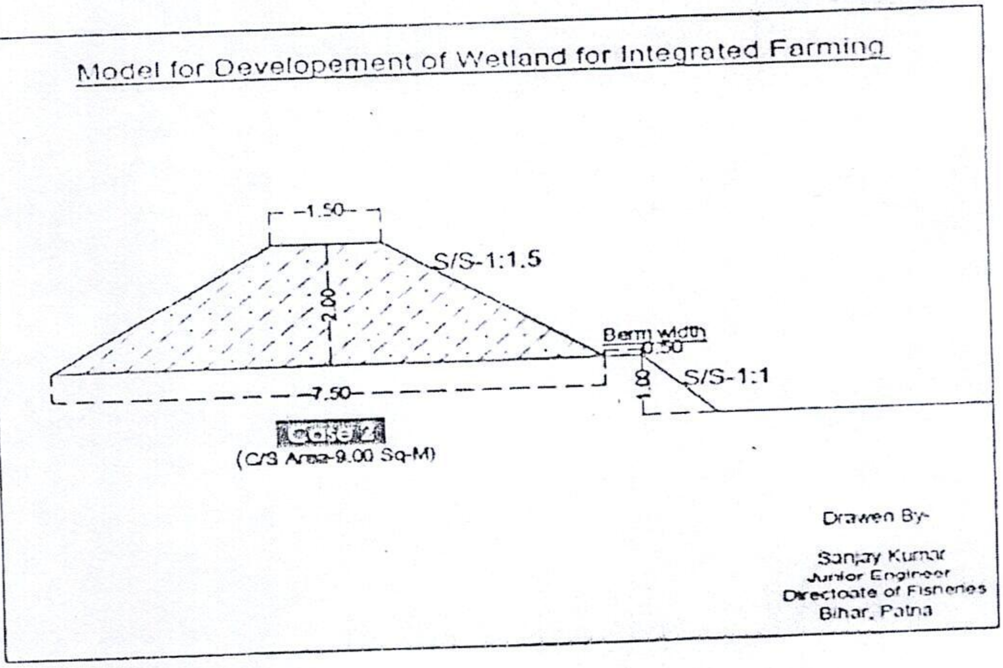
Model for Developement of Wetland for Integrated Farming
1.50
S/S-1:1.5
2.00
Berm width
0.50
S/S-1:1
7.50
Case 2
(C/S Area-9.00 Sq-M)
Drawen By-
Sanjay Kumar
Junior Engineer
Directoate of Fisheries
Bihar, Patna

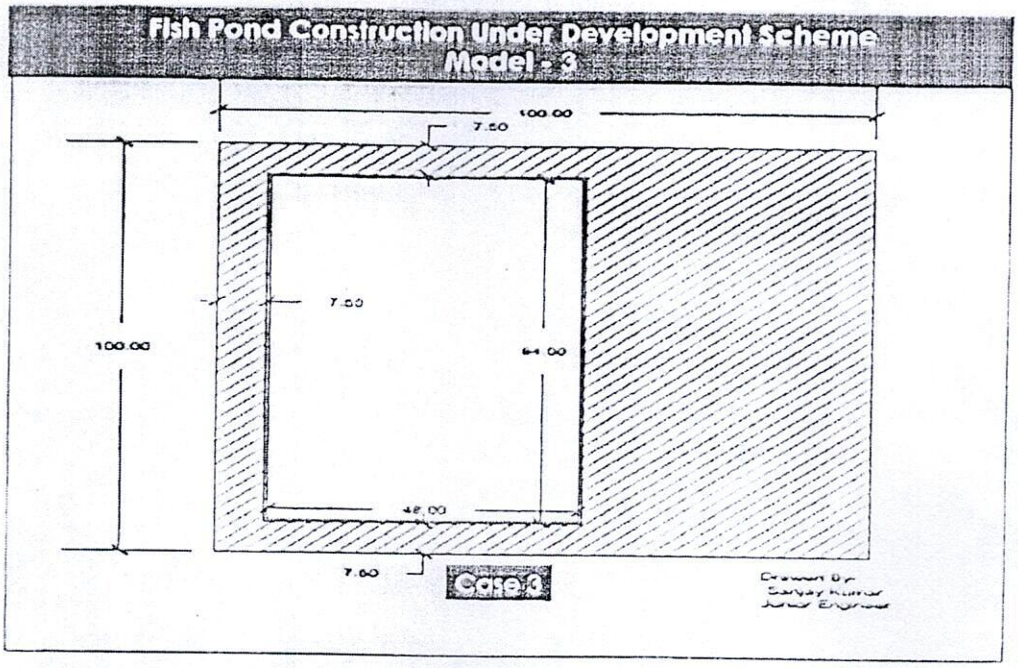
Fish Pond Construction Under Development Scheme
Model - 3
100.00
7.50
100.00
7.50
48.00
7.50
Case 3

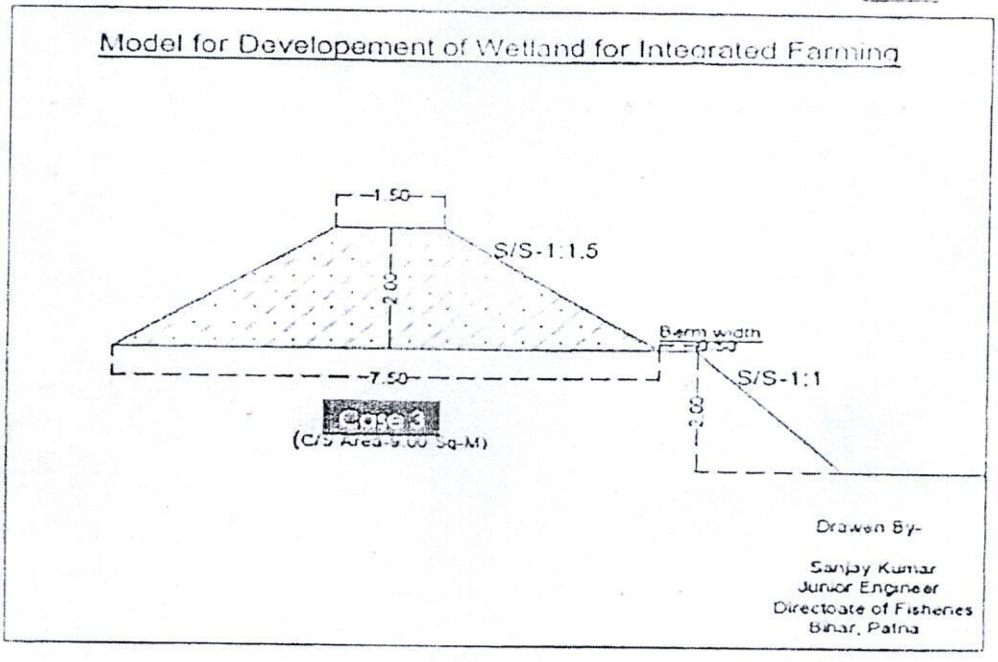
Model for Developement of Wetland for Integrated Farming
1.50
S/S-1:1.5
2.00
Berm width
7.50
S/S-1:1
Case 3
(C/S Area-9.00 Sq-M)
Drawen By-
Sanjay Kumar
Junior Engineer
Directoate of Fisheries
Bihar, Patna

अनुलग्नक 1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.00	43.50	3.00	18.27	2.00	12.18			15.00	73.950	1.479	75.4290
	22.00	95.70	10.00	60.90	5.00	30.45			37.00	187.050	3.741	190.7910
	5.00	21.75	1.00	6.09	0.00	0.00			6.00	27.840	0.557	28.3968
	30.00	130.50	20.00	121.80	5.00	30.45			55.00	282.750	5.655	288.4050
चम्पारण	15.00	65.25	3.00	18.27	1.00	6.09	1	6.09	20.00	95.700	1.914	97.6140
पारण	20.00	87.00	15.00	91.35	10.00	60.90			45.00	239.250	4.785	244.0350
ी	25.00	108.75	15.00	91.35	5.00	30.45			45.00	230.550	4.611	235.1610
रपुर	20.00	87.00	15.00	91.35	5.00	30.45			40.00	208.800	4.176	212.9760
	15.00	65.25	7.00	42.63	2.00	12.18			24.00	120.060	2.401	122.4612
ुर	10.00	43.50	5.00	30.45	3.00	18.27			18.00	92.220	1.844	94.0644
	11.00	47.85	10.00	60.90	4.00	24.36			25.00	133.110	2.662	135.7722
	15.00	65.25	5.00	30.45	2.00	12.18			22.00	107.880	2.158	110.0376
	5.00	21.75	5.00	30.45	2.00	12.18	1	6.09	13.00	70.470	1.409	71.8794
जि	8.00	34.80	6.00	36.54	2.00	12.18	1	6.09	17.00	89.610	1.792	91.4022
	10.00	43.50	10.00	60.90	2.00	12.18	2	12.18	24.00	128.760	2.575	131.3352
र	10.00	43.50	6.00	36.54	4.00	24.36	1	6.09	21.00	110.490	2.210	112.6998
ुर	20.00	87.00	10.00	60.90	1.00	6.09	1	6.09	32.00	160.080	3.202	163.2816
य	16.00	69.60	2.00	12.18	2.00	12.18			20.00	93.960	1.879	95.8392
प्र	20.00	87.00	10.00	60.90	5.00	30.45			35.00	178.350	3.567	181.9170
गंज	20.00	87.00	10.00	60.90	5.00	30.45	1	6.09	36.00	184.440	3.689	188.1288
	15.00	65.25	5.00	30.45	3.00	18.27	1	6.09	24.00	120.060	2.401	122.4612
	20.00	87.00	5.00	30.45	1.00	6.09			26.00	123.540	2.471	126.0108
योग	342.00	1487.70	178.00	1084.02	71.00	432.39	9.00	54.81	600.00	3058.920	61.178	3120.0984

क्ष्य का निर्धारण चौर बाहुल्य जिलों द्वारा मांग के आधार पर किया गया है।
तरित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 100 हे० अन्य वर्ग के लक्ष्य से परिवर्तन योग्य होगा।

21/1/2024

सरकार के संयुक्त सचिव

3053
24/06/2024